

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज


नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामील
में जारी हुए

2022

रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से श्री पवन कुमार सैनी एडवोकेट हाजिर। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील प्रार्थी ने अनुरोध किया कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विन्दु पर वकील प्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए एवं प्रार्थी के हितों को ध्यान में रखते हुये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण को जबाब पेश किये जाने तक उभय पक्षकारान को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 23, 40, 41, 26, 37, 24, 01, 02, 48/4, 48/5, 16 कुल किता 11 अवस्थित ग्राम राजनगर पटवार हल्का गोडावास तहसील नीमकाथाना के विशिष्ट भू-भाग का बेचान नही करें एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

उक्त अन्तरिम टी.आई आदेश सीमाज्ञान /पत्थरगढी के विधिक आदेश की पालना में एवं रास्ता खुलवाने एवं नवीन रास्ता चाहने, विधुत कनेक्शन देने सम्बंधी विधिक प्रक्रिया की पालना में लागू नही होगी। "

प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थी/प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम, 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधन /वैकेट कर दी जायेगी। अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय आदेश तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 17.11.2022 को पेश हो।


(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी

600
2022


प्रार्थना पत्र
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
रतनलाल पंडे (जिम्हारी) नं०.

निर्देश व कार्यवाही अहकाम
जो इस हुकम की
तासील में जारी हुए

5/10/23 पत्रावली पेश हुई। वक्तुलाय न्यायालय
P.O साहब दीगर कार्य में व्यवस्था है
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20/10/23
को पेश है।

20/10/23 पत्रावली पेश हुई। वक्तुलाय उपा.
P.O. साहब वक्तुलाय कार्य में व्यवस्था
होने से पत्रावली पूर्वाआदेशानुसार
दिनांक 28/12/23 को पेश है।

28/12/23 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र वकील
प्रार्थना अनुपस्थित। बार-बार आवान दिनांक
आने पर भी प्रार्थना वकील कोर्ट से कोर्ट उपस्थित
नहीं। अतः प्रार्थना वक्तुलाय उपा. अहकाम हाजरी
अहकाम पेशी में खरीज किया जाता है। पत्रावली
फैसल शुभा होना न्यायालय से कल होना अहकाम
दीर्घ है।


(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना